

प्रोफ.क.

महेश कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, ...
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक 02 मार्च, 2006

विषय: आवासीय एवं अनावासीय भवनों का मानकीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

विभागीय आवासीय एवं अनावासीय भवनों का मानकीकरण न किये जाने के कारण टाइम ओवर-रन्स/कास्ट ओवर-रन्स होते हैं जिनके कारण शासन पर अतिरिक्त व्यय आता है तथा परियोजना निर्धारित समय में पूर्ण नहीं हो पाती है।

2- इस सम्बन्ध में गुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सभी संबंधित विभाग अपने विभाग से संबंधित भवनों के मानकीकरण का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करेंगे। इस हेतु प्रशासनिक विभाग अपने स्तर से भवनों की डिजाइन तैयार करावेंगे तथा उस पर प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग की सहायता प्राप्त करने के उपरान्त व्यय वित्त सचिव का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। भवनों के मानकीकरण के उपरान्त उनकी लागत शेड्यूल आफ रेट्स के बदलने पर स्वतः पुनरीक्षित मानी जायेगी। जिन भवनों के मानक पूर्व से निर्धारित हैं उनके सम्बन्ध में भी आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित करने हेतु व्यय वित्त सचिव का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
सचिव वित्त।

संख्या: ई-0-305 ()/दस-2006-सद्विभाग।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित-

- 1- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ०प०।
- 2- मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, भाषीण अभियंत्रण सेवा।
- 3- प्रवक्ता निदेशक, जल नियम उत्तर प्रदेश।
- 4- प्रवक्ता निदेशक, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग लिमिटेड।
- 5- आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विन्यास विभाग।
- 6- प्रवक्ता निदेशक, समाज कल्याण विभाग।